

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

आवास अनुभाग - 3

लखनऊ: दिनांक- 2 अगस्त, 2001

विषय : भवन निर्माण मानचित्र पर देय अम्बार फीस।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3138/9-आ-3-98-33 काम्प/98, दिनांक 13 अक्टूबर, 1998 के प्रस्तर-(2) के परिप्रेक्ष्य में आपके पत्र संख्या-672, दिनांक 21 मार्च 2001 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा किश्त क्रय पद्धति पर आवंटित भूखण्ड भी उक्त शासनादेश दिनांक 13 अक्टूबर, 1999 के प्रस्तर-2 से आच्छादित होंगे।

2. उक्त शासनादेश संख्या-3238/9-आ-3-98-33 काम्प/98, 13 अक्टूबर, 1998 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. उत्तर प्रदेश आवास बन्धु/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

जावेद एहतेशाम
उप सचिव